



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 12/07/2017, दिनांक 08.06.2018

सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017

चयन प्रक्रिया हेतु प्रावधान : समान अंक की स्थिति में चयन प्रक्रिया

- 01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2017, दिनांक 12.12.2017 आयोग की वेबसाइट तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 18.12.2017 के अंक में प्रकाशित किया गया है।
- 02 उक्त परीक्षा में अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा + अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर जारी किया जाना है। लिखित परीक्षा + अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक का योग समान अंक होने की स्थिति में मेरिट निर्धारण हेतु निम्नानुसार वरीयता क्रम की व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-
 1. सर्वप्रथम लिखित परीक्षा + अतिथि विद्वान वरीयता अंक के प्राप्तांक का योग।
 2. उक्त अंक समान होने पर अर्हताकारी परीक्षा (स्नातकोत्तर स्तर) में उच्चतर प्राप्तांकों का प्रतिशत। (जिन आवेदकों के प्रतिशत न होकर ग्रेडिंग सिस्टम होंगे उनके ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।)
 3. उक्त अर्हता परीक्षा के प्रतिशत भी समान होने पर अधिक आयु वाला आवेदक।
- 03 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

सचिव